EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (ii)

Appearing on Page Nos. 7689—7694

Dated 13-11-2010

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 2010

का. आ. 2806.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 2010 है ।

(2) ये 2 सितम्बर, 2008 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे और इन नियमों से संलग्न पेंशन के लिए संराशीकृत मूल्य की पुनरीक्षित सारणी, पेंशन के सभी संराशीकरण के लिए प्रयोग की जाएगी जो 2 सितम्बर, 2008 से पूर्ण होती है तथा ऐसे पेंशनभोगियों की दशा में, जिनकी पेंशन का संराशीकरण, 1 जनवरी 2006 को या उसके पश्चात्, किन्तु 2 सितम्बर, 2008 से पूर्व, पूर्ण हो चुका है, पेंशन के लिए संराशीकृत मूल्य की पूर्व पुनरीक्षित सारणी, पूर्व पुनरीक्षित वेतन या पेंशन पर आधारित पेंशन के संराशीकरण के संदाय के लिए प्रयोग की जाएगी और ऐसे पेंशनभोगियों के संबंध में, इन नियमों से संलग्न पेंशन के लिए संराशीकृत मूल्य की पुनरीक्षित सारणी, पेंशन की ऐसी अतिरिक्त राशि के संराशीकरण के लिए जो वेतन और पेंशन के भूतलक्षी पुनरीक्षण के कारण संराशीकृत हुई है, प्रयोग की जाएगी ।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) नियम, 1981 में :--

(1) नियम 3 के, उपनियम (1) के खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(घ) "सेवानिवृत्त उपदान" से केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 50 के उपनियम (1) के अधीन संदेय उपदान अभिप्रेत है ।";

(2) नियम 5 के उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(3) यदि संराशीकृत की जाने वाली पेंशन की प्रतिशतता रुपए के किसी भाग में आती है तो संराशीकरण के प्रयोजन के लिए रुपए के ऐसे भाग को छोड़ दिया जाएगा ।";

(3) नियम 6 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(2) नियम 9 या नियम 10 में निर्दिष्ट किसी आवेदक की दशा में, जहां संराशीकृत मूल्य का संदाय दो या अधिक प्रक्रमों में किया जाता है पेंशन की रकम में कमी उपनियम (1) के परंतुक के खंड (क) या खंड (ख) में यथा अधिकथित संदाय की क्रमिक तारीखों से की जाएगी ।"

(4) नियम 9 के उपनियम (3) के—(क) खंड (i) और खंड (ii) में "दो हजार" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, क्रमशः "छह हजार" शब्द रखे जाएंगे; और (ख) खंड (i) में "भाग" शब्द के स्थान पर "प्रतिशतता" शब्द रखा जाएगा;

(5) नियम 10 में, (क) "भाग" शब्द के स्थान पर "प्रतिशतता" शब्द रखा जाएगा; (ख) "दो हजार" शब्दों के स्थान पर, जहां जहां वे आते हैं, "छह हजार" शब्द रखे जाएंगे;

(6) नियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"10क. यदि संराशीकृत पेंशन का प्रत्यावर्तन-पेंशन की संराशीकृत राशि का, नियम 6 के अनुसार संराशीकरण के प्रवृत्त होने के कारण पेंशन कम करने की तारीख से पंद्रह वर्ष पूर्ण होने पर प्रत्यावर्तन किया जाएगा ।

परंतु जब संराशीकृत राशि को पेंशन के ऊपर पुनरीक्षण के कारण एक बार से अधिक संदत्त किया गया था तो पेंशन की क्रमशः संराशीकृत राशि, संबंधित तारीख (तारीखों) से पंद्रह वर्ष पूर्ण होने पर प्रत्यावर्तन किया जाएगा ।";

(7) नियम 12 के खंड (iii) में "मृत्यु तथा" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(8) नियम 22 के उपनियम (1) के खंड (ख) में "दो हजार" शब्दों के स्थान पर "छह हजार" शब्द रखे जाएंगे;

(9) नियम 31 में,—(i) "एक सौ" शब्दों के स्थान पर, जहां जहां वे आते हैं, "छह हजार", शब्द रखे जाएंगे; (ii) "भाग" शब्द के स्थान पर, जहां जहां वे आते हैं, "प्रतिशतता" शब्द रखे जाएंगे;

(10) नियम 32 में, "कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग" शब्दों के स्थान पर, "पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग" शब्द रखे जाएंगे;

(11) नियम 33 में "कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग" शब्दों के स्थान पर, "पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग" शब्द रखे जाएंगे;

(12) नियम 3, नियम 4, नियम 11, नियम 12, नियम 13, नियम 14, नियम 15, नियम 16, नियम 17, नियम 18, नियम 19, नियम 26 और नियम 27 में "भाग" शब्द के स्थान पर, जहां जहां वे आते हैं, "प्रतिशतता" शब्द रखे जाएंगे;

(13) इन नियमों से उपाबद्ध सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात् :--

सारणी

"एक रुपया वार्षिक पेंशन के लिए संराशीकृत मूल्य
1 जनवरी, 2006 से प्रभावी

[नियम 3 (1) (ड), 8, 26 (7), 28 (5) और 29 (1) तथा 29 (2) देखिए]

जन्म की अगली तारीख पर आयु	वर्ष-क्रय की संख्या के रूप में अभिव्यक्त संराशीकृत मूल्य	जन्म की अगली तारीख पर आयु	वर्ष-क्रय की संख्या के रूप में अभिव्यक्त संराशीकृत मूल्य	जन्म की अगली तारीख पर आयु	वर्ष-क्रय की संख्या के रूप में अभिव्यक्त संराशीकृत मूल्य
1	2	3	4	5	6
20	9.188	41	9.075	62	8.093
21	9.187	42	9.059	63	7.982
22	9.186	43	9.040	64	7.862
23	9.185	44	9.019	65	7.731
24	9.184	45	8.996	66	7.591
25	9.183	46	8.971	67	7.431
26	9.182	47	8.943	68	7.262
27	9.180	48	8.913	69	7.083
28	9.178	49	8.881	70	6.897
29	9.176	50	8.846	71	6.703
30	9.173	51	8.808	72	6.502
31	9.169	52	8.768	73	6.296
32	9.164	53	8.724	74	6.085
33	9.159	54	8.678	75	5.872
34	9.152	55	8.627	76	5.657
35	9.145	56	8.572	77	5.443
36	9.136	57	8.512	78	5.229
37	9.126	58	8.446	79	5.018
38	9.116	59	8.371	80	4.812
39	9.103	60	8.287	81	4.611"
40	9.090	61	8.194		

स्पष्टीकरण ज्ञापन

छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के कारण, प्रस्तावित संशोधनों को, उस तारीख से, जिसको छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित की गई थीं, भूतलक्षी प्रभाव देना आवश्यक हो गया है । यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित संशोधनों को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति के हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है ।

टिप्पण : केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन संराशीकरण) संशोधन नियम, 1981 को अधिसूचना संख्यांक 34/1/81 पेंशन यूनिट तारीख 8 जुलाई, 1983 द्वारा यथा संशोधित का.आ. 1134 तारीख 11 अप्रैल, 1981 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया था :-

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या	तारीख
1.	का.आ. सं. 1870	04-05-1985
2.	का.आ. सं. 2097	18-05-1985
3.	का.आ. सं. 1775	19-07-1997
4.	का.आ. सं. 918	28-02-2002
5.	का.आ. सं. 1484(अ)	30-12-2003

[फा. सं. 42/23/10-पीएंडपीडब्ल्यू (जी)]

राज सिंह, संयुक्त सचिव

(DEPARTMENT OF PENSION AND PENSIONERS WELFARE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 2010

S. O. 2806.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 read with clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Commutation of Pension) Amendment Rules, 2010.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 2nd September, 2008 and the revised Table of Commutation Value for Pension, appended to these rules shall be used for all commutation of pension which becomes absolute from the 2nd September 2008 and in the case of pensioners whose commutation of pension became absolute on or after 1st January, 2006 but before 2nd September, 2008, the pre revised Table of Commutation Value for Pension shall be used for payment of commutation of pension based on pre revised pay or pension and in respect of such pensioners, the revised Table of Commutation Value for Pension, appended to these rules shall be used for the commutation of additional amount of pension that has become commutable on account of retrospective revision of pay and pension.

2. In the Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981—

(1) in rule 3, sub-rule (1), for clause (d), the following clause shall be substituted, namely :—

"(d) "Retirement gratuity" means the gratuity payable under sub-rule (1) of rule 50 of the CCS (Pension) rules, 1972.";

(2) in rule 5, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(3) If the percentage of pension to be commuted results in fraction of rupee, such fraction shall be ignored for the purpose of commutation.";

(3) in rule 6, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) In the case of an applicant referred to in rule 9 or rule10 the commuted value is paid in two or more stages, the reduction in the amount of pension shall be made from the respective dates of the payments as laid down in clause (a) or clause (b) of the proviso to sub-rule (1).";

(4) in rule 9, in sub-rule (3), (a) in clauses (i) and (ii), for the words "two thousand", wherever they occur, the words "six thousand" shall respectively be substituted; and (b) in clause (i), for the word "fraction" the word "percentage" shall be substituted;

(5) in rule 10, (a) for the word "fraction" the word "percentage" shall be substituted; (b) for the words "two thousand", wherever they occur, the words "six thousand" shall be substituted;

(6) after rule 10, the following rule shall be substituted, namely :—

"10A. Restoration of commuted pension,—The commuted amount of the pension shall be restored on completion of fifteen years from the date the reduction of pension on account of commutation becomes operative in accordance with rule 6 :

Provided that when the commutation amount was paid on more than one occasion on account of upward revision of pension, the respective commuted amount of the pension shall be restored on completion of fifteen years from the respective date(s).";

(7) in rule 12, in clause (iii), the words "death-cum-" shall be omitted;

(8) in rule 22, in sub rule (1), in clause (b), for the words "two thousand", the words "six thousand" shall be substituted;

(9) in rule 31, (i) for the words "one hundred", wherever they occur, the words "six thousand" shall be substituted; (ii) for the word "fraction" wherever it occurs, the word "percentage" shall be substituted;

(10) in rule 32, for the words "Department of Personnel and Administrative Reforms", the words "Department of Pension and Pensioners Welfare" shall be substituted;

(11) in rule 33, for the words "Department of Personnel and Administrative Reforms", the words "Department of Pension and Pensioners Welfare" shall be substituted;

(12) in rules, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 26 and 27 for the words "fraction" wherever it occurs, the word "percentage" shall respectively be substituted;

(13) for the table appended to these rules, the following table shall be substituted namely :—

TABLE

"Commutation Values For A Pension of Rs. 1 Per Annum
Effective from 1st January, 2006

[see rules 3(1) (m) 8,26 (7), 28 (5) and 29 (1) and 29 (2)]

Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase	Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase	Age next birthday	Commutation value expressed as number of year's purchase
1	2	3	4	5	5
20	9.188	41	9.075	62	8.093
21	9.187	42	9.059	63	7.982
22	9.186	43	9.040	64	7.862
23	9.185	44	9.019	65	7.731
24	9.184	45	8.996	66	7.591
25	9.183	46	8.971	67	7.431
26	9.182	47	8.943	68	7.262
27	9.180	48	8.913	69	7.083
28	9.178	49	8.881	70	6.897
29	9.176	50	8.846	71	6.703
30	9.173	51	8.808	72	6.502
31	9.169	52	8.768	73	6.296
32	9.164	53	8.724	74	6.085
33	9.159	54	8.678	75	5.872
34	9.152	55	8.627	76	5.657
35	9.145	56	8.572	77	5.443

1	2	3	4	5	5
36	9.136	57	8.512	78	5.229
37	9.126	58	8.446	79	5.018
38	9.116	59	8.371	80	4.812
39	9.103	60	8.287	81	4.611"
40	9.090	61	8.194		

EXPLANATORY MEMORANDUM

Due to implementation of the recommendations of the sixth Central Pay Commission, it has become necessary to give retrospective effect to the proposed amendments from the date from which the recommendations of the Sixth Central Pay Commission were given effect to. It is certified that the interest of no person is adversely affected by giving retrospective effect to the proposed amendments.

Note : The Central Civil Services (Commutation of Pension) Amendment Rules, 1981 were published vide S. O. 1134 dated 11th April, 1981 as amended by notification No. 34/1/81 Pension Unit dated the 8th July, 1983 and were subsequently amended vide Department of Pension and Pensioners' Welfare Notification as given below;

S. No.	Notification No.	Date
1.	S. O. No. 1870	04-05-1985
2.	S. O. No. 2097	18-05-1985
3.	S. O. No. 1775	19-07-1997
4.	S. O. No. 918	28-02-2002
5.	S. O. No. 1484(E)	30-12-2003

[F. No. 42/23/10-P&PW (G)]

RAJ SINGH, Jt. Secy.

MGIPRRND—4411 PPG&P/10—100 Copies